रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2005/माघ 22, 1926

No. 54] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2005/MAGHA 22, 1926

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 67(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (तीसरा संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 11 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष ऐसे वेतन, भत्तों और अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को उपलब्ध हैं और पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किए गए अन्य सदस्य पन्द्रह हजार रुपए प्रति मास का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।"

[फा. सं. 1(7)/97-सीपीयू]

सतवंत रेड्डी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 398 (अ) तारीख 15 अप्रैल, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं०

1. सा०का०नि० 533 (अ) तारीख 14-8-1991,
2. सा०का०नि० 800 (अ) तारीख 30-12-1993,
3. सा०का०नि० 522 (अ) तारीख 22-6-1994,

4. सा०का०नि० 605 (अ) तारीख 30-8-1995,

5. सा०का०नि० 759 (अ) तारीख 21-11-1995,

6. सा०का०नि० 95 (अ) तारीख 27-2-1997,

7. सा०का०नि० 175 (अ) तारीख 5-3-2003,

8. सा०का०नि० 50 (अ) तारीख 1-2-2005, और

9. सा०का०नि० 64 (अ) तारीख 10-2-2005,

द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2005

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Consumer Protection Rules, 1987, namely :—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Consumer Protection (Third Amendment) Rules, 2005.

(2) The shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 11 of the Consumer Protection Rules, 1987, for the sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The President of the National Commission shall be entitled to salary, allowances and other perquisites as are available to a sitting Judge of the Supreme Court and the other members, appointed on whole-time basis, shall receive a consolidated honorarium of fifteen thousand rupees per month."

[F. No. 1(7)/97-CPU]

SATWANT REDDY, Addl. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number GSR 398(E) dated 15th April, 1987 and subsequently amended *vide* notification Nos :

1. GSR 533(E) dated 14-8-1991,
2. GSR 800(E) dated 30-12-1993,
3. GSR 522(E) dated 22-6-1994,
4. GSR 605(E) dated 30-8-1995
5. GSR 759(E) dated 21-11-1995,
6. GSR 95(E) dated 27-2-1997,
7. GSR 175(E) dated 5-3-2003,
8. GSR 50(E) dated 1-2-2005, and
9. GSR 64(E) dated 10-2-2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.